

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/9/2017 को पेश हो।

तहसीलदार, विद्यावाड़ी
(पापी-राजपुर)

674
14/9/2017

24/9/2017 पत्रावली पेश की गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/9/2017 को पेश हो।

पत्रावली पेश की गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/9/2017 को पेश हो।

20

